"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक ई-1-01/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से., (1997) को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री सोनमणि बोरा, भा.प्र.से. (1999) आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पदस्थ करता है. साथ ही सचिव, छ.ग. शासन, समाज कल्याण तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 8-7/सात-1/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 51 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2015 दिनांक 28 जनवरी, 2016 द्वारा गठित राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" हेतु स्वीकृत "पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से)" के रिक्त 01 पद को भरने के लिए, इच्छुक व्यक्तियों से संपूर्ण विवरण सहित आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं.

आवेदन पत्र निम्नांकित पते पर प्राप्त होना चाहिए :—

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, (कक्ष क्रमांक एस-2-21) के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर दिनांक 30-04-2016 तक (फैक्स क्रमांक 0771-2510122, 2221972, 2221242 अथवा राजस्व विभाग के ई-मेल पते-revenue.cg @ nic.in) प्राप्त हो, पर विचार किया जायेगा.

1. **नियुक्ति के लिए अर्हताएं.**—राज्य स्तरीय "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण" में पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से),—

    (1) वह जिला न्यायाधीश है या रहा है.

2. **नियुक्ति हेतु चयन की रीति.**— पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जायेगी.

3. **पीठासीन अधिकारी की पदावधि.**— राज्य स्तरीय गठित प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करेगा, तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा.

4. **पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें.**— अधिनियम की धारा 56 के अनुसार प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वही होंगी, जो विहित की जाएं.

5. **रिक्तियों का भरा जाना.**—प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में, अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को भरने के लिए, उपरोक्त खण्ड 2, 3 एवं 4 में विहित मापदण्ड अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकेगी.

6. **सेवा से त्याग पत्र और हटाया जाना—**

    (1) प्राधिकरण का पीठासीन अधिकारी, राज्य शासन को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा,

    परन्तु पीठासीन अधिकारी, जब तक उसे शीघ्र अपना पद त्यागने के लिए राज्य शासन द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या उसके उत्तरवर्ती के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उसका पद ग्रहण करने तक या उसकी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करता रहेगा.

    (2) पीठासीन अधिकारी को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा किसी प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी के मामले में ऐसी जांच किए जाने के पश्चात् जिसमें संबंधित पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्ति-युक्त अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य शासन द्वारा किये गये आदेश के सिवाय, उसके पद से नहीं हटाया जाएगा.

7. **प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तियों और उसके समक्ष कार्यवाही**—राज्य स्तरीय प्राधिकरण को, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) के अधीन अपने कृत्यों के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन, किसी सिविल न्यायालय में निहित है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-04/2016/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत् प्रस्तुत बलरामपुर निवेश क्षेत्र की बलरामपुर विकास योजना 2031 का अनुमोदन करता है. बलरामपुर निवेश क्षेत्र की बलरामपुर विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है.

2. बलरामपुर निवेश क्षेत्र की बलरामपुर विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—

1. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर (छ.ग.)
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बलरामपुर (छ.ग.)
4. कलेक्टर, बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से बलरामपुर निवेश क्षेत्र की बलरामपुर विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 7-04/2016/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में बलरामपुर निवेश क्षेत्र की बलरामपुर विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 6-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 6th April 2016

No. F 7-04/2016/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the State Government hereby accord approval to the Balrampur Planning Area, Balrampur Development Plan-2031 submitted by Directorate under sub-section (3) of section 18 of said Adhiniyam. The same is being published in "Chhattisgarh Rajpatra" for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Balrampur Planning Area, Balrampur Development Plan-2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Assistant Director, Town & Country Planning, Ambikapur (C.G.)
2. Nagar Panchayat Parishad, Balrampur (C.G.)
3. Collector, Balrampur-Ramanujganj (C.G.)

3. The Balrampur Planning Area, Balrampur Development Plan-2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-06-2010 की कंडिका के 13(2) तथा 14(1) के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित करता है.

13(2) राज्य कैम्पा की संचालन समिति निम्नानुसार होगी :—

1.	मुख्य सचिव	—	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन	—	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	—	सदस्य
4.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	—	सदस्य
5.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	—	सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघुवनोपज संघ	—	सदस्य
7.	केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	—	सदस्य
8.	गैर सरकारी संगठनों के नामांकित दो सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जायेगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा.	—	सदस्य
9.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	—	सदस्य
10.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980.	—	सदस्य
11.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)	—	सदस्य सचिव

14(1) राज्य कैम्पा की क्रियान्वयन समिति निम्नानुसार होगी :—

1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	—	सदस्य
3.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना)	—	सदस्य
4.	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघुवनोपज संघ	—	सदस्य

5.	गैर सरकारी संगठनों के नामांकित दो सदस्य जिन्हें राज्य शासन द्वारा दो वर्ष के लिए नामांकित किया जायेगा एवं जिन्हें पुनर्नामांकित किया जा सकेगा.	—	सदस्य
6.	अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980.	—	सदस्य
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)	—	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-23/2004/10-2 दिनांक 5-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, सचिव.

Naya Raipur, the 5th April 2016

No. F 5-23/2004/10-2.—The State Government hereby substitutes the following paragraphs in place of para 13(2) and 14 (1) of the notification of even no. dated 23-06-2010.

13 (2) The Steering Committee of the State CAMPA shall consist of the following :—

1.	Chief Secretary	—	Chairperson
2.	Additional Chief Secretary/Principal Secretary (Forests)	—	Member
3.	Principal Secretary /Secretary (Finance)	—	Member
4.	Principal Chief Conservator of Forests	—	Member
5.	Chief Wild life Warden	—	Member
6.	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	—	Member
7.	A representative of the Ministry of Environment & Forests Government of India.	—	Member
8.	Two eminent NGO's to be nominated by the State Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for renomination.	—	Member
9.	Additional Principal Chief Conservator of forest (Development/ Planning).	—	Member
10.	Additional Principal Chief Conservator of forest (Land Management) Nodal officer, Forest Conservation Act 1980.	—	Member
11.	Additional Principal Chief Conservator of forest (CAMPA)	—	Member Secretary

14 (1) The Executive Committee of the State CAMPA shall consist of the following :—

1.	Principal Chief Conservator of Forests	—	Chairperson
2.	Chief Wild life Warden	—	Member
3.	Managing Director, Chhattisgarh Rajya Laghu Vanopaj Sangh	—	Member
4.	Additional Principal Chief Conservator of forest (Development/ Planning).	—	Member
5.	Two eminent NGO's to be nominated by the State	—	Member
6.	Government for a period of 2 years at a time, who shall be eligible for renomination.	—	Member

7.	Additional Principal Chief Conservator of forest (Land Management) Nodal Officer, Forest Conservation Act 1980.	—	Member
8.	Additional Principal Chief Conservator of forest (CAMPA)	—	Member Secretary

By order in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Secretary.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 731/676/2016/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के अंतर्गत निम्न तथा मध्यम श्रेणी के जोखिम वाले उद्योगों/स्थापनों (Medium Risk Industries) के लिए अन्य पक्ष प्रमाण (Third Party Certification) की सुविधा अनुमान्य करने का परामर्श दिया गया है.

सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि ऐसे उद्योग/स्थापना यदि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, डीजीफासली (D.G.F.A.S.L.I.) या सेन्ट्रल ब्यॉलर बोर्ड के द्वारा अनुमोदित अन्य पक्ष (Third Party) से श्रम अधिनियमों के अनुपालन का अंकेक्षण करा कर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा जो उद्योग/स्थापना निर्धारित समय-सीमा तक 30 जून तक अपनी विहित वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 736/762/2016/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 के लिए निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958, बोनस भुगतान अधिनियम 1965, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, उपादान भुगतान अधिनियम 1972, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित निरीक्षक द्वारा विभागीय वेबपोर्टल में 48 घण्टे के भीतर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2016

क्रमांक 738/695/2016/16.—औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत राज्य में श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू की जाती है. अतएव विभिन्न श्रम अधिनियमों या उक्त अधिनियमों अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना/स्थापना या वाणिज्यिक स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाली वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में विभागीय वेबपोर्टल में प्रतिवर्ष 30 जून तक ऑनलाईन दाखिल करने हेतु विहित किया जाता है.

एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी ऑनलाईन दाखिल करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अब्बास खान, अवर सचिव.

कारखाना/ स्थापना/वाणिज्यिक स्थापना के लिए एकीकृत वार्षिक विवरणी 31दिसम्बर.............

संबंधित जिला श्रम कार्यालय/औद्योगिक स्वा.एवं सुरक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपि श्रमायुक्त को प्रेषित करे

1.स्थापना का विवरण:--

(a) स्थापना का नाम ....

(b) स्थापना का पता ....

(c) स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है,(संबंधित विकल्पों को टिक करे)
(अ) छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958
(आ) कारखाना अधिनियम,1948
(इ) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम,1961
(ई) अन्य अधिनियम (उल्लेख करे)

(d) नियोजन का नाम ....

(e) मालिक/ठेकेदार का पता ....

(f) नियोजन का ई-मेल ....

(g) नियोजन व्दारा दूरभाष क्रमांक(कार्यालय)......................(आवास).....................

(h) मोबाईल नम्बर...

(i) प्रबंधक अथवा स्थापना पर नियंत्रण रखने वाले/पर्यवेक्षकीय उत्तरदायित्व रखने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता:... ....

(j) व्यवसाय/कार्य /उत्पाद का संक्षिप्त विवरण :-...

(k) कारखाना/स्थापना के प्रारंभ तिथि...

2 कैलेण्डर वर्ष में स्थापना व्दारा सीधे नियोजित श्रमिकों का विवरण (संविदा श्रमिकों को छोड़कर)

(अ) प्रतिदिन नियोजित श्रमिको की औसत संख्या ....

(आ) एक दिन में किये जाने वाले कार्य के औसत घंटे (अधिसमय कार्य सहित): ....

(इ) वर्ष में मानव दिवसों की संख्या
(1) पुरूष ....
(2) महिला ....
(3) किशोर ....
(4) बालक ....
कुल.....................

(ई) औसतन दैनिक नियोजित श्रमिक संख्या

1. वयस्क ....
2. किशोर ....

कुल......................

3.साप्ताहिक अवकाश का दिन (टिक करे)

(सोमवार/मंगलवार/बुधवार/गुरुवार/शुक्रवार/शनिवार/रविवार)

पारियों का समय

प्रथम पारी : समय .... बजे से ....तक ....

पारी (यदि लागू हो) समय .... बजे से ....तक ....

तृतीय पारी (यदि लागू हो): समय .... बजे से ....तक ....

कैलेण्डर वर्ष में कुल कार्य दिवस :...

4.वर्ष के दौरान किए कटौती

मामलों की संख्या	कुलराशि	जुर्माना	क्षति या हानि	अनुबंध का उल्लंघन कुल

4-1.वर्ष के दौरान जुर्माना निधि से संवितरण:-

1. वर्ष के शुरुआत में जुर्माने की शेष राशि(रु.)..
2. वर्ष के दौरान जुर्माना निधि से संवितरण.

क्रमांक	उद्देश्य	राशि
1		
2		
3		
योग		

3. वर्ष के समाप्ति में जुर्माने की शेष राशि (रु.)..................

5. लागू होने वाले अधिनियम के पंजीयन का विवरण :-

क्र०	अधिनियम का नाम (संबंधित अधिनियम को टिक करे)	पंजीयन/ अनुज्ञप्ति क्रमांक	जारी करने/अंतिम नवीनीकरण का दिनाँक
1	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम,1958/ कारखाना अधिनियम, 1948/मोटर यातायात श्रम अधिनियम		
2	संविदा श्रम अधिनियम,1970 (यदि लागू हो)		
3	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1979 (यदि लागू हो)		
4	अन्य अधिनियम के तहत पंजीयन होने पर अधिनियम का नाम		

6.कैलेण्डर वर्ष में स्थापना व्दारा सीधे नियोजित श्रमिकों का विवरण:-

(श्रमिकों को छोड़कर)

अ. प्रतिदिन नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या.......................................

ब. एक दिन में किये जाने वाले कार्य के औसत घंटे(अधिनियम कार्य सहित)..........................

स. वर्ष में मानव दिवसों की संख्या :-

1. पुरुष ....
2. महिला ....
3. कुमार ....
4. बालक ....

कुल ....

7.कैलेण्डर वर्ष में स्थापना द्वारा अधिकतम नियोजित श्रमिकों का विवरण:-

वर्ष	श्रमिक संख्या									
	नियमित श्रमिक					संविदा श्रमिक				
	पुरूष	महिला	बालक (14 से कम)	कुमार (14 से 18)	योग	पुरूष	महिला	बालक	कुमार	योग
अतिकुशल										
कुशल										
अर्द्धकुशल										
अकुशल										
योग										

साप्ताहिक अवकाश का दिन (टिक करे):-

(सोमवार/मंगलवार/बुधवार/गुरुवार/शुक्रवार/शनिवार/रविवार)

द. पारियों का समय :

प्रथम पारी : समय ....बजे से .... तक ....

द्वितीय पारी (यदि लागू हो) : समय ....बजे से .... तक....

तृतीय पारी (यदि लागू हो) : समय ....बजे से .... तक.....

कैलेण्डर वर्ष में कुल कार्य दिवस :-..

8. ठेकेदारों का विवरण यदि (यदि हो तो):-

कार्यरत ठेकेदारों की संख्या	नियोजित श्रमिकों की संख्या					वर्ष में कुल मानव दिवस
	पुरुष	महिला	कुमार(14 से 18 वर्ष की आयु के मध्य)	बालक(14वर्ष के कम आयु)	योग	

8.(1) कार्यरत ठेकेदारों का विवरण

ठेकेदारों का नाम एवं पता	अनुबंध अवधि	कार्य की प्रकृति	ठेकेदार द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या	कार्य दिवसों की संख्या	मानव कार्य दिवसों की संख्या

9. बोनस से लाभांवित श्रमिकों की संख्या :- (वित्तीय वर्ष --------)

बोनस के रूप भुगतान योग्य कुल राशि	समझौते का विवरण (यदि कोई हो)	घोषित बोनस का प्रतिशत	वास्तविक भुगतान किये गये बोनस की राशि	बोनस भुगतान का दिनांक	क्या सभी नियोजितों को बोनस का भुगतान किया गया है।(हाँ /नहीं)	किसी नियोजित श्रमिक को भुगतान नहीं करने का कारण (यदि लागू हो)	बोनस भुगतान की परिधि में आने वाले श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

10. कैलेण्डर वर्ष में सेवानिवृत्त /छटनी /कार्य मुक्त किये गये श्रमिकों का विवरण :-

श्रमिकों की संख्या				भुगतान की गई स्वत्व की राशि (प्रकार सहित)
आयु पूर्ण होने पर सेवा निवृत्त	छंटनी किये गये	सेवा मुक्त/पृथिक्कीकारण/निष्कासित	सेवा समाप्ति पर भुगतान किये गये स्वत्व	

11.कैलेण्डर वर्ष में कुल मानव दिवसों की हानि का विवरण (कारण सहित)

क्र.	कारण	मानव दिवस की कुल हानि	राशि के रूप में क्षति (राशि)
(a)	हड़ताल		
(b)	तालाबंदी		
(c)	खतरनाक दुर्घटना		
(d)	गैर खतरनाक किन्तु गंभीर दुर्घटना		
(e)	अन्य		
	कुल		

12.कैलेण्डर वर्ष में भुगतान कि गई वेतन दरे :-

वर्ष	वेतन दर	श्रमिक संख्या									
		नियमित श्रमिक					संविदा श्रमिक				
		पुरूष	महिला	बालक	कुमार	योग	पुरूष	महिला	बालक	कुमार	योग
अतिकुशल											
कुशल											
अर्द्धकुशल											
अकुशल											
योग											

13.वेतन भुगतान का विवरण :-

श्रमिको की संख्या	कुल कार्य दिवस	कुल कार्य के घंटे	कुल वेतन भुगतान		कटोत्रा		शुद्ध वेतन भुगतान				
			नगद राशि	वस्तु के रूप में	आरोपित दण्ड राशि	कुल कटोत्रा	मूल वेतन	महंगाई भत्ते	वर्ष में भुगतान की गई कुल राशि	योग	बोनस

14. कलेंडर वर्ष में घटित दुर्घटनाओं की संख्या :-

घटित दुर्घटना का स्वरूप	संख्या	कारखाना निरीक्षक को दी गई सूचना	कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी गई सूचना	आयुक्त,कर्मकार क्षतिपूर्ति को दी गई सूचना	अन्य
प्राणांतक दुर्घटना					
गैर प्राणांतक दुर्घटना					

15. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 के तहत् क्षतिपूर्ति भुगतान,दुर्घटना एवं व्यवसायिक जन्य बीमारियाँ:-

घटित दुर्घटना का स्वरूप	संख्या	प्रकरण संख्या जिनमे क्षतिपूर्ति भुगतान की गई	भुगतान की क्षतिपूर्ति राशि	प्रकरण संख्या जिनमे क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं की गई
प्राणांतक दुर्घटना				
गैर प्राणांतक दुर्घटना				

दुर्घटना			मुआवजे की राशि		
चोटोंके प्रकरणों की संख्या (4)जिसके संबंध में अंतिम मुआवजे के वर्ष के दौरान भगतन किया गया है।			मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थायी विकलांगता
मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थायी विकलांगता			
1	2	3	4	5	6

रोग के नाम	व्यवसायिक रोग					
	चोटों के प्रकरणों की संख्या (4) जिसके संबंध में अंतिम मुआवजे के वर्ष के दौरान गतन किया गया है।			मुआवजे की भुगतान की राशि		
	मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थायी विकलांगता	मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थायी विकलांगता
7	8	9	10	11	12	13
वयस्क						
किशोर						

16. औद्योगिक **विवाद अधिनियम,1947 के अंतर्गत वर्क्स कमेटी का विवरण** (यदि 100 कर्मकार नियोजित हो)

01. क्या वर्क्स कमेटी कार्यशील है| (हाँ/नहीं) : ....

यदि हाँ तो कृपया निम्न जानकारी दें -

1. इसके गठन की तिथि : ....
2. कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या : ....
3. नियोजको के प्रतिनिधियों की संख्या : ....
4. वर्ष में नियोजित बैठकों की संख्या दिनाँक सहित : ....

2. यदि वर्क्स कमेटी नहीं है तो इसके गठन/कार्यशील होने में समक्ष आयी कठिनाईयाँ:

....

....

03.स्थापना में व्यावसायिक संघों की संख्या : ....

04. व्यवसायिक संघो का नाम : ....

05. बंदीकारण/ले-ऑफ़/छटनी:-

I. संस्थान के बंद किया गया या ले-ऑफ़ किया गया है..................................
II. संस्थान के बंद्र होने या ले-ऑफ़ के पूर्व माह में नियोजित श्रमिको की संख्या ....
III. संस्थान के बंद होने की तिथि ....
IV. संस्थान के बंद होने या ले-ऑफ़ से प्रभावित श्रमिक संख्या ....
V. संस्थान के बंद होने या ले-ऑफ़ का कारण..................................
VI. कर्मचारियो की छटनी तिथि ....
VII. छटनी का कारण ....
VIII. ले-ऑफ़ प्रारंभ तिथि एवं समाप्ति तिथि ....
IX. ले-ऑफ़ से वर्ष दिवस क्षति ....
X. सस्थान के बंद होने से मानव दिवस क्षति ....

17. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों का विवरण (यदि नियोजित हो)

राज्य का नाम	ठेकेदार का नाम जिसके माध्यम से प्रवासी कर्मकार नियोजित किये गये है	पुरुष	महिला	कुमार(14वर्ष से 18वर्ष आयु के मध्य)	कार्य का स्वरूप

18. छ.ग. औद्योगिक नियोजन एवं स्थायी आदेश अधिनियम, 1961
क्या संस्थान पर उक्त अधिनियम प्रभावशील है - हाँ/नही ....

(1) कारखाना/स्थापना का वर्ग ....
(2) क्या सभी कर्मचारियों के लिए प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त किया गया है - हाँ/नही...

19.उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में श्रमिकों को प्रदत्त उपादान का विवरण परिशिष्ट पृथक से संलग्न करें :-

क्र०	श्रमिक का नाम	नियोजन क्रमांक	सेवा निवृत्त/ छंटनी का दिनाँक	सेवा की अवधि (वर्ष एवं दिवस)	अंतिम प्राप्त मासिक वेतन (रू.)	भुगतान की गई उपादान राशि (रू.)	भुगतान नहीं करने की स्थिति में उसका कारण
1	2	3	4	5	6	7	8

20.श्रम कल्याणनिधि में अंशदान का विवरण (9 से अधिक श्रमिक नियोजन होने पर लागू)

अवधि	श्रम कल्याण निधि में जमा किया गया अंशदान(रू.)			अतिरिक्त भुगतान (यदि कोई हो)
	कर्मचरियों का अंशदान	नियोजक का अंशदान	कुल अंशदान(अर्द्धवार्षिक)	
1	2	3	4	5
30 जून की तिथि				
31 दिसम्बर की तिथि				

21.श्रमिकों को दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी सुख सुविधाओं का विवरण:--

(1) स्थापना में श्रमिकों की संख्या:-..
(2) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत प्राप्त श्रमिकों की संख्या:-....................................
(3) संवैधानिक अवकाश अथवा अवकाश के बदले नगद वेतन प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या...
(4) एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या:-....................................
(5) कैंटिन सुविधा प्राप्त करने वाले श्रमिको की संख्या:..
(6) विश्राम कक्षों की संख्या:--...

(7) श्रमिकों हेतु विश्राम स्थल एवं आवासीय इकाईयों की संख्या..

(8) अन्य उपलब्ध करायी सुविधाएँ(स्पष्ट उल्लेख करे)...

22.यदि महिला श्रमिक नियोजित है तो निम्नांकित विवरण भरे, अन्यथा रिक्त छोड़े:--

A. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्वीकृत अवकाश का विवरण :--

a. स्थापना में नियोजित महिला कर्मचारियों की संख्या ....

b. स्वीकृत अवकाश दिवसों की कुल संख्या:..
ऐसे श्रमिको की संख्या जिन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत अवकाश अथवा अन्य लाभ प्राप्त किये गये...

c. 80 दिवस से कम दिवसों तक कार्य की महिलाओं की संख्या ....

d. मातृत्व हित लाभ के लिए अस्वीकृत किये गए दावों की संख्या---------------

e. ऐसे महिलाओं की संख्या जो मृत हुई हो :-

1. प्रसूति के पहले ....
2. प्रसूति के बाद ....

f. ऐसे प्रकरणों की संख्या जिसमे महिलाओं को हितलाभ के भुगतान की जगह अन्य व्यक्तियों को कर दिया गया है

g. ऐसे महिलाओं की संख्या जिनको कार्य करते समय कार्य से पृथक................

h. ऐसे महिलाओं की संख्या जिन्हें कार्य के समय निकाल दिया गया या जिन्होंने कार्य छोड़ दिया हो ....

i. ऐसे महिलाओं की संख्या जिन्हें धारा 12 की उपधारा (2) के नियम के अधीन मातृत्व लाभ और/या चिकित्सा लाभ से वंचित रही हो.................................

j. ऐसे प्रकरण जिसमे भुगतान सक्षम अधिकारी या निरीक्षक के आदेश पर बनाया गया था ....

k. ऐसे प्रकरणों की संख्या जिनमे प्रसव के पूर्व या प्रसव के पश्चात् महिला को कारावास हुआ हो ,तो शिशु की देखभाल प्रबंधन व्दारा नि:शुल्क देय हो
....

l. महिलाओ की संख्या जिसने मातृत्व हित लाभ का दावा किया है..................

m. कितनी महिलाओ का दावा स्वीकृत किया है...

n. मातृत्व लाभ की कुल राशि...

o. बोनस भुगतान किया गया है, मामलो की संख्या......................................

p. मातृत्व बोनस की कुल राशि...

B. स्वास्थ्य संबंधी विवरण:----

I. कैलेण्डर वर्ष में उपस्थित चिकित्सा अधिकारियो का नाम ....

II. चिकित्सा अधिकारी की योग्यता :...

III. चिकित्सा अधिकारी स्थापना द्वारा नियोजित है अथवा अंशकालिक है :.............

IV. यदि अंशकालिक है तो स्थापना में उनकी उपस्थिति संख्या कितनी रहती है , (त्रैमासिक उपस्थित संख्या दे)..

V. क्या स्थापना में चिकित्सालय है ? (हाँ/नहीं)..

VI. यदि हाँ तो उपलब्ध बिस्तरों की संख्या ....

VII. क्या स्थापना द्वारा पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रूप से महिला चिकित्सक उपलब्ध करायी गयी है?(हाँ /नहीं)..

VIII. महिला चिकित्सक की योग्यता क्या है? ....

IX. क्या स्थापना में प्रशिक्षित मिड-वाईफ उपलब्ध है? (हाँ /नहीं):-..........................

X. क्या झुलाघर उपलब्ध करायी गयी है? (हाँ/नहीं)...

23. कारखाना अधिनियम, 1948(यदि लागू हो तो विवरण दे अन्यथा छोड़ दें)

a. वर्ष में किसी एक दिन नियोजित अधिकतम श्रमिकों की संख्या ....

I. श्रमिको की संख्या (पुरुष/महिला)..

II. श्रमिको की ओवर टाइम घंटो की कुल संख्या(पुरुष/महिला)..................

III. कुल कार्य दिवस ....

IV. सुरक्षा अधिकारी ....

V. कैन्टीन ....

VI. रेस्ट रूम ....

VII. लंच रूम ....

VIII. शिशु गृह ....

IX. कल्याण अधिकारी ....

b. वर्ष में घटित दुर्घटनाओं की संख्या ....

दुर्घटना श्रेणी I :--(a) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या परिणामस्वरूप कोई श्रमिक 48 घंटे से अधिक समयावधि हेतु नि:शक्त हुआ हों:-..

(b) ऐसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त श्रमिक संख्या:-..

(c) ऐसी दुर्घटना के कारण हुई मानव दिवसों की हानि की संख्या ....

दुर्घटना श्रेणी II :--

(a) ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या जिसके परिणामस्वरूप कोई श्रमिक 48 घंटे से अधिक समयावधि हेतु नि:शक्त हुआ, हो किन्तु जिसके परिणामस्वरूप स्थायी, आंशिक अथवा स्थानी पूर्ण नि:शक्तता नहीं हुई हो.................

(b) ऐसी दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त श्रमिक संख्या ....

(c) ऐसी दुर्घटना के कारण हुई मानव दिवसों की हानि की संख्या................

दुर्घटना श्रेणी III :-

a. ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या परिणामस्वरूप कोई श्रमिक स्थायी आंशिक अथवा स्थायी पूर्ण नि:शक्त हुआ हो:-..............................

b. ऐसी दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त श्रमिक संख्या ....

c. ऐसी दुर्घटना के कारण हुई मानव दिवसों की हानि की संख्या..............................

दुर्घटना श्रेणी IV :--

a.ऐसी दुर्घटना की संख्या जिसके परिणामस्वरूप किसी श्रमिक की मृत्यु हुई हो तथा इस कारण हई कुल श्रमिको की संख्या :--------

24. प्रबंधन में परिवर्तन का विवरण (यदि कोई हो):-

1. स्थापना के प्रबंधन, स्थान या पंजीयन के समय पंजीयन अधिकारी के पूर्व में दिए गये अन्य किसी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसे परिवर्तन का विवरण एवं दिनाँक :--

परिवर्तन का दिनांक	पंजीयन के समय दी गई जानकारी	परिवर्तित जानकारी

25. 01.विभिन्न श्रम कानूनों में स्थापना के निरीक्षण के दिनाँक :

....

02.निरीक्षण दल के प्रमुख का नाम पदनाम :

....

परिशिष्ट I

ठेकेदार का नाम एवं पता	अनुबंध प्रपत्र की अवधि	कार्य की प्रकृति	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित कार्यकर्ता की अधिकतम संख्या	काम किये गये दिनों की संख्या	काम किये गये सोमवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6

परिशिष्ट II

क्रमांक	कर्मचारी / कार्यकर्ता का नाम	रोज़गार का दिनांक	स्थाई पता
1	2	3	4

FORM N

प्रत्येक मामलों और कारणों के लिए धारावाहिकों 7,10,12,17 और 18 के तहत की गई कार्यवाही की पूर्ण जानकारी नीचे परिशिष्ट **में दी जानी चाहिए:-**

स्थापना की समाप्ति वर्ष के दौरान किये गये भुगतान का विवरण 31 दिसम्बर..............तक

भुगतान किये गये व्यक्ति का नाम : ....

भुगतान की गई राशि (रु.) :- ....

भुगतान का दिनांक :- ....

(1) महिला कर्मचारी :- ....

(2) महिला की नामिती :- ....

(3) महिला की क़ानूनी प्रतिनिधि :- ....

(4) प्रसव की तारीख से पहले की संभावित अवधि के लिए राशि :-..............................

(5) प्रसव की तारीख के बाद की राशि :- ....

(6) धारा 8 के तहत

(7) धारा 9 के तहत

(8) धारा 10 के तहत

(9) महिला श्रमिकों की संख्या जो पहली क़िस्त करने के बाद फरार हो ....

(10) ऐसे प्रकरणों का दावा जिसे क़ानूनी रूप से अदालत में लड़ें गये हों ....

(11) इस तरह के प्रकरणों का परिणाम...

(12) टिप्पणी ....

26. समापन/छटनी/ले-आफ

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बंद होने पर/छटनी/छटनी आंकड़ो पर मासिक रिपोर्ट :

क्र.	उद्योग कोड साथ-साथ विवरण (पांच अंको के स्तर पर प्रति NIC के रूप में)	स्थापना का नाम,के साथ स्वामित्व का पूरा पता व क्षेत्र के साथ(जैसे- सार्वजनिक, निजी, सहकारी या संयुक्त)	स्थापना में माह के आखिरी कार्य दिवस में कुल कामगारों की संख्या	श्रमिकों की कुल संख्या(समापन/छटनी/ले-आफ में अधिकतम प्रभावित कामगार)	(बंद/छटनी ले–आफ के कारण)	बंद/ छटनी का दिनांक	छटनी के मामले				टिप्पणी
							छटनी की अवधि		समापन मानव दिवसों की संख्या		
							प्रारम्भ	सामान्य	महीने के दौरान	महीने के अंत तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ठेकेदार विवरण*******

स्थापना, पता. टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल पते के

नाम...

....

काम का स्थान...

नियोक्ता एक ठेकेदार है, तो नाम और मुख्य नियोजक का पता ....

1. कर्मकार / कर्मचारी का नाम ....
2. पिता का नाम / पति का नाम ....
3. पता:
   a. वर्तमान...
   b. स्थायी..
4. नाम और परिजनों को नामित / का पता ....
5. पदनाम / श्रेणी...
6. जन्म तिथि /आयु...
7. शैक्षिक योग्यता..
8. प्रविष्टि का दिनाँक..
9. कार्यकर्ता आईडी क्र० / ईएसआई / ईपीएफ /एल.डब्लू.एफ.क्र०..
10. कार्यरत व्यक्ति 14 वर्ष से कम है, तो उम्र का प्रमाण पत्र बनाए रखा है,...............................
11. लिंग: पुरुष या महिला ....
12. राष्ट्रीयता...
13. कारण के साथ रोजगार की समाप्ति की तारीख...
14. कार्यकर्ता /कर्मचारी के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान...
15. पदनाम के साथ नियोक्ता / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर...

ठेकेदार के हस्ताक्षर/अधिकृत प्रतिनिधि
मुख्य नियोक्ता की

नियोजक/ प्रबंधक के डिजीटल हस्ताक्षर......
....

स्थान :-
दिनाँक :-

हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
स्थापना में पद.....................................

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक 1214/एफ 21/01/2016/13/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियों में डायरेक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है.

कंपनीवार डायरेक्टर के रिक्त पद तथा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु आदि से संबंधित अर्हताएं का विवरण नीचे दर्शाया गया है, अन्य सुसंगत योग्यता एवं अनुभव यदि हो तो तदाशय का विवरण पृथक से संलग्न किया जाए :—

क्र.	कंपनी का नाम	नियुक्ति हेतु रिक्त पद	शैक्षणिक अर्हता	आयु सीमा	अनिवार्य अर्हता	अन्य सुसंगत योग्यता/अनुभव यदि कोई हो तो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छ.रा. विद्युत उत्पादन कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रीकल/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री	दिनांक 01-04-2016 को न्यूनतम 57 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	पॉवर जनरेशन प्लांट के संचालन/ संधारण कार्य का मुख्य अभियंता या अनिम्न पद पर न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव.	
2.	छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री	दिनांक 01-04-2016 को न्यूनतम 57 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	हाईवोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम के संचालन/संधारण कार्य का मुख्य अभियंता या अनिम्न पद पर न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव.	
3.	छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी	डायरेक्टर आपरेशन्स एण्ड मेन्टेनेन्स	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री	दिनांक 01-04-2016 को न्यूनतम 57 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	विद्युत वितरण प्रणाली के संचालन/ संधारण कार्य का मुख्य अभियंता या अनिम्न पद पर न्यनूतम दो वर्ष का अनुभव.	
4.	छ.रा. विद्युत वितरण कंपनी	डायरेक्टर (कामर्शियल एण्ड रेग्युलेटरी अफेयर्स)	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री/चार्टेड एकाउण्टेन्ट सह विधि स्नातक	दिनांक 01-04-2016 को न्यूनतम 57 वर्ष तथा अधिकतम 62 वर्ष	विद्युत वितरण के क्षेत्र में वाणिज्यिक/ विनियमन कार्य का मुख्य अभियंता या अनिम्न पद पर न्यूनतम दो वर्ष अनुभव.	

2. **वेतन :—** डायरेक्टर के पद पर देय वेतन रुपये 45,900-1250(2)-48400-1550(18)-76300 तथा रुपये 5000 अतिरिक्त देय है. वेतन के अतिरिक्त कंपनी के प्रचलित के नियमों के अधीन महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा सुविधा आदि देय है. वर्तमान में लागू वेतनमान में दिनांक 01-04-2014 से पुनरीक्षण अपेक्षित है.

3. **आवेदन कौन कर सकता है :—**

i. छ.रा. विद्युत उत्पादन/पारेषण/वितरण कंपनी में कार्यरत ऐसे मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक जो ऊपर तालिका में दर्शाये अनिवार्य अनुभव धारित करते हैं.

ii केन्द्रीय सेक्टर/अन्य राज्यों के स्टेट सेक्टर के पॉवर यूटिलिटी में कार्यरत ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जो ऊपर तालिका में दर्शाये अनिवार्य अर्हता को धारित करते हैं लेकिन चयन किए जाने पर उनकी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जावेगी तथा नियुक्ति की अवधि उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों/संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन रहेगी.

4. **आवेदन जमा करने की प्रक्रिया :—**

i. सेवारत अभ्यर्थी अपने आवेदन की एक प्रति सीधे निर्धारित तिथि के पूर्व तथा एक प्रति नियोक्ता के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से भेजें.

ii. नियोक्ता के माध्यम से आवेदन प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी के प्रकरण में विचार नहीं किया जायेगा.

iii. अभ्यर्थी कलर ब्लाईण्ड नहीं होना चाहिए.

iv. नियुक्ति उम्मीदवार को कार्य ग्रहण करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा जांच कराना होगी. मेडिकल बोर्ड की जांच में फीट पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा.

v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को अपने संवर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा.

vi. अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य सुसंगत अनुभव यदि हो के प्रमाण में सभी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करना होगा.

5. **नियुक्ति की प्रक्रिया :—**

i. किसी पद पर चयन हेतु 10 से अधिक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने पर केवल 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकेगा.

ii. किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता/अनुभव के मापदण्ड एक समान पाये जाने पर अभ्यर्थियों का वर्गीकरण नियुक्ति हेतु पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता/सुसंगत स्नातक स्तर पर प्राप्त अंकों को घटते क्रम में वरीयता सूची बनाया जाकर वरीयता में 10 अभ्यर्थियों को चयन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा.

iii. किसी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के परीक्षण में समस्त मापदण्डों में एकरूपता पाये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनियों में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता रहेगी.

iv. प्राप्त आवेदनों में से अभ्यर्थियों के चयन किए जाने हेतु शासन का निर्णय अंतिम होगा.

6. **नियुक्ति की अवधि :—** विद्युत कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष के लिए रहेगी.

उपरोक्तानुसार अभिरूचि रखने वाले उम्मीदवारों को आवेदन नीचे लिखे पते पर दिनांक 30 अप्रैल 2016 के पूर्व 04 प्रतियों में जमा करना होगा :—

(के. सी. वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
ऊर्जा विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, कक्ष क्र. एडी-3/19
नया रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. रत्लम, संयुक्त सचिव.

ANNEXURE -I

APPLICATION FORM FOR APPOINTMENT AS DIRECTOR IN CHHATTISGARH STATE POWER COMPANIES
[THROUGH PROPER CHANNEL] '*'

(Note : Any column left blank will make the application incomplete and liable for rejection.)

1. Name of the post applied for ______________________

2. (a) Name (as per official records) ______________________

   (b) Identification Number (Employee Number) ______________________

   (c) Designation of the Applicant (in full) ______________________

   (d) Category - Employment Status :- Officer of a State PSU's /CPSU's
   (Please tick as applicable)

   (e) Office Address : ______________________

3. Address for communication ______________________

4. Telephone No: Office ____________ Residence ____________ FAX No. ____________
   Mobile No. ____________________ E-Mail address ____________________

5. Date of Birth ______________ Age as 01.04.2016 ______________

6. Eligibility Criteria :

	As per job description	Possessed by the officer	Whether eligible or not
Educational/professional qualifications (alongwith the name of Institutions)			
Pay Scale			
Length of service in eligible pay scale			

7. Positions held during the preceding ten years :-

Sl. No.	Designation, and place of posting	Organisation	From	To	Pay Scale
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

'*' Note: Not applicable if applicant has retired from service.

7(a). Details of experience relevant for the advertised post and job description, out of 7 above:

Sl. No.	Designation, and place of posting	Organization	From	To	Pay Scale	Nature of experience.
1.						
2.						
3.						
4.						

Note : 1. You may attach a write up, if you wish, **not exceeding two pages,** in support of your candidature.

2. Full form of all abbreviations used while making entries in the application form should be suitably explained i.e. in footnotes or a separate attachment.

8 (A) Do you hold lien in any other organization other than where currently working ?

Yes	No

If yes:

(a) Name of the organization in which the lien is held :-

(b) Date from which the lien is held :-

(B) Are you on deputation ?

Yes	No

If yes:

Date from which you have been on deputation :-

9.(a) Whether any punishment awarded to the applicant during the last 10 years.

Yes	No

If yes, the details thereof

(b) Whether any action or inquiry is going on against him as far as his knowledge goes.

Yes	No

If yes, the details thereof

CERTIFICATE

I certify that the details furnished by me in Cols. 1 to 9 are true to the best of my knowledge and belief.

UNDERTAKING

I hereby undertake to join the post, if selected. I understand that if I convey my unwillingness to join after the interview is held, but before the appointment is processed, or after issue of offer of appointment, I may be debarred for a period of two years for being considered for Board level post in any of the Chhattisgarh State Power Company.

(Name and Signature of the applicant)

Date:

(To be filled by the State PSU /CPSU /Ministry / Department concerned)

It is certified that the particulars furnished above have been scrutinized and found to be correct as per official records.

Signature & Designation of
the Competent Forwarding
Authority with Telephone No. & Office Seal.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2016

क्रमांक/83/वा./भू.अ./प्र.क्र./06/अ-82/वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-चपरीद, प.ह.नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-34.31 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1300	0.18
1429	0.06
1460	0.02
1303/1	0.04
1267/2	0.05
1403	0.03
1404	0.03
1385	0.07
1263/1	0.03
1297/2	0.02
1297/8	0.04
1421	0.05
1297/4	0.03
1297/5	0.03
1408	0.05
1355	0.01
1383	0.01
1463	0.11
1465	0.13
1472	0.05
1477	0.06
1478	0.25
1486	0.12
1316/3	0.05
1298	0.16
1324	0.01
1361	0.01
1370	0.02
1437	0.12
1356/2	0.03
1327	0.03
1329	0.13
1357/2	0.01
1307	0.15
1308	0.08
1306	0.79
1380	0.06
1273	0.02
1274	0.03
1275	0.03
1193	0.09
1345	0.03
1271	0.17
1487	0.04
1422	0.08
1430	0.09
1493	0.11
1303/2	0.06
1304/2	0.06
1292	0.05
1293	0.01
1294	0.07
1386/2	0.05
1458/1	0.08
1458/4	0.12
1192	0.12
1375	0.08
1409	0.05
1352	0.03
1356/1	0.03
1502	0.18
1316/1	0.08
1302/1	0.09
1302/2	0.05
1420/1	0.02
1372	0.03
1295	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
1299	0.05	1454	0.09
1407	0.10	1455	0.04
1431	0.10	1458/2	0.10
1347	0.03	1346	0.03
1335	0.02	1469/2	0.39
1336	0.06	1496/1	0.10
1392	0.02	1412	0.10
1366	0.03	1390	0.06
1272	0.10	1382	0.02
1332	0.14	1379	0.08
1365	0.01	1331	0.06
1259	0.03	1501/2	0.06
1263/2	0.02	1376	0.04
1495/1	0.09	1388	0.03
1257	0.05	1314	0.12
1479	0.06	1456	0.27
1457/1	0.07	1181/1	0.08
1321	0.18	1468/1	0.08
1457/2	0.08	1179	0.12
1418	0.10	1416	0.04
1500	0.37	1471	0.08
1288/1	0.07	1286/3	0.02
1286/2	0.03	1288/2	0.06
1426/2	0.02	1426/3	0.02
1395	0.06	1374	0.04
1328	0.05	1378	0.04
1337	0.09	1301	0.16
1425	0.07	1458/3	0.21
1349	0.04	1492	0.03
1406	0.08	1281	0.14
1360	0.07	1358	0.08
1405	0.17	1411	0.05
1413	0.07	1488	0.02
1316/2	0.08	1494	0.33
1443	0.07	1270	0.10
1461	0.02	1415	0.10
1330	0.05	1312/2	0.12
1325	0.05	1194	0.03
1417	0.21	1398	0.02
1433	0.47	1399/2	0.02
1464	0.27	1400	0.02
1481	0.05	1490	0.05
1449	0.13	1491	0.04
1450	0.18	1176	0.04
1451/1	0.10	1180	0.21
1451/2	0.05	1182	0.06
1452	0.02	1468/2	0.16
1453	0.08	1181/2	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
1183/3	0.12	1367	0.03
1267/1	0.06	1256/2	0.07
1368	0.03	1414/1	0.04
1466	0.41	1499/1	0.35
1436	0.06	1499/2	0.05
1175	0.14	1499/3	0.05
1265	0.06	1499/4	0.05
1297/1	0.02	1499/5	0.05
1297/6	0.05	1287	0.11
1459	0.26	1289	0.14
1280	0.56	1291	0.15
1489	0.04	1427	0.11
1391	0.06	1389	0.04
1340	0.01	1373	0.03
1448	0.09	1402	0.03
1462	0.05	1282	0.48
1480	0.04	1284	0.54
1304/1	0.07	1399/1	0.06
1470	0.17	1266	0.07
1414/2	0.03	1297/3	0.03
1311	0.09	1297/7	0.04
1296	0.06	1363	0.01
1353	0.02	1333	0.10
1190	0.19	1312/1	0.02
1313	0.13	1187	0.24
1401	0.04	1191	0.09
1503/1	0.10	1264	0.05
1269	0.09	1369	0.07
1260	0.04	1377	0.04
1384	0.04	1309	0.11
1410	0.03	1319	0.15
1386/1	0.04	1354	0.02
1170	0.62	1394/2	0.03
1323	0.01	1371	0.04
1362	0.02	1501/1	0.07
1435	0.03	1394/1	0.02
1434	0.04	1320	0.70
1396	0.02	1357/1	0.02
1397	0.02	1495/2	0.10
1399/3	0.02	1424	0.14
1268	1.36	1316/4	0.04
1283	1.33	1467/2	0.20
1285	0.73	1183/2	0.12
1399/4	0.05	1188/2	0.05
1432	0.15	1341	0.04
1364	0.01	1348	0.07
1189	0.16	1359	0.12
1322	0.01	1387	0.18

(1)	(2)
1428	0.16
1334	0.02
1503/2	0.10
1482	0.04
1334	0.02
1393	0.03
1339	0.06
1342	0.01
1343	0.01
1344	0.02
1302/3	0.12
1305	0.06
1326	0.05
1310	0.08
1338	0.15
1183/1	0.12
1188/1	0.04
1350	0.02
1351	0.02
1165/1	0.40
1184	0.11
1186	0.20
1318	0.55
1438	0.02
1439	0.02
1440	0.09
1441	0.03
1442	0.03
1469/1	0.40
1315	0.13
1496/4	0.07
1496/3	0.07
1496/2	0.05
648	3.59
1286/1	0.03
1290	0.15
1426/1	0.03
1185	0.14
1467/1	0.10
योग 297	34.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-समोदा बैराज परियोजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 10 मार्च 2016

क्रमांक/316/भू-अर्जन/वाचक/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-बलौदा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-45.039 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.026
13/1	0.075
1467	0.032
1759/1	0.020
2/2	0.027
13/4	0.075
1462	0.036
1540/1	0.027
2/4	0.032
13/3	0.150
1103/2	0.023
1498	0.101
1540/3	0.027
1759/3	0.020
14/1	0.091
60/1	0.243
60/3	0.048
1239/1, 3545/1	0.181
1239/3, 3545/3	0.137
14/3	0.023
14/4	0.023

(1)	(2)
14/5	0.022
32/2	0.105
50/4	0.053
60/4	0.020
1454/3	0.030
1756/3	0.057
1762	0.097
1781/2	0.040
1398/3	0.162
1470/1	0.024
1825/1	0.118
39/2	0.028
39/4	0.227
26/1	0.040
1475/1	0.049
26/2	0.040
1446/1	0.049
27/1	0.101
1086/2	0.065
1096	0.178
1128	0.065
1130	0.073
1491	0.138
27/2	0.101
1086/1	0.081
29/1	0.042
1361/1	0.047
29/2	0.041
1361/2	0.048
1956/1, 1957/1	0.082
30/1	0.043
32/1	0.069
1376/1	0.048
33	0.283
554	0.081
1450	0.113
1452	0.105
3217	1.092
41	1.578
45/2	0.446
1556	0.559
1921	0.081
1961	1.538
54/1	0.142
50/6	0.012
1120/1	0.024
1545/4	0.040

(1)	(2)
50/2	0.081
50/5	0.014
1545/1	0.040
50/3	0.027
50/7	0.012
358/1	0.036
1165/1	0.255
358/2	0.037
1136	0.093
1457	0.109
568/1	0.040
1817	0.073
568/3	0.040
543/1	0.006
575/3	0.072
575/2	0.071
543/2	0.006
1967/2	0.032
546	0.210
1113	0.012
1487	0.210
1236/2	0.108
547/1	0.057
1362/1	0.097
1364/1	0.049
1953/1	0.206
3218/1	0.078
547/2	0.057
1941/2	0.040
1362/3	0.097
1364/3	0.049
1953/3	0.182
1959/1	0.113
3218/2	0.121
547/3	0.057
1362/2	0.097
1364/2	0.049
1898/2	0.138
1953/4	0.271
1959/3	0.142
1960/2	0.109
555/2	0.028
556	0.037
1353/1	0.190
1560	0.093
3218/3	0.101
3218/4	0.101
1569/3	0.034

(1)	(2)	(1)	(2)
1484/3	0.011	1955/2	0.460
1484/4	0.034	1171/1	0.048
1569/4	0.103	1468	0.097
1567	0.008	1966	0.121
1572	0.081	1112	0.012
1551/3	0.081	1558	0.182
1154/3	0.008	1955/1ग/1	0.121
1115/3	0.008	1561	0.069
1145/3	0.011	1084/2, 1085/2	0.090
1117	0.024	1084/5, 1085/5	0.030
1111	0.016	1098/2, 1099/2	0.020
1360	0.097	1537/1	0.024
1084/1, 1085/1	0.090	1365/5	0.024
1479/2	0.022	1972	0.219
1479/3	0.022	1154/2	0.007
1118	0.016	1458/2	0.025
1479/1	0.022	1097/1	0.129
1108	0.032	1492	0.121
1460	0.069	1141/2	0.040
1496	0.040	1151/2	0.020
1456	0.032	1486/2	0.081
1110	0.016	1088	0.049
1144	0.016	1133/1	0.015
1500	0.065	1490/1	0.028
1361/3	0.047	1376/2	0.072
1956/2, 1957/2	0.082	1131/2	0.016
1464	0.036	1135/2	0.009
1960/1	0.113	1147/2	0.011
1964/1	0.030	1381/2	0.020
1154/5	0.022	1383/2	0.051
1084/3, 1085/3	0.030	1178	0.016
1445/3	0.046	1170/3	0.034
1444	0.057	1176	0.081
1463/1	0.016	1349	0.198
1363/2	0.026	1173	0.113
1380	0.121	1154/1	0.007
1098/1, 1099/1	0.040	1354	0.085
1143/1	0.008	1162/1	0.094
1480	0.049	1170/1	0.030
1098/7, 1099/7	0.032	1162/2	0.187
1143/2	0.008	1170/2	0.036
1102/1	0.050	1907/2, 1908/2	0.122
1124/1	0.033	1097/2	0.065
1134/1	0.032	1133/2	0.015
1153	0.016	1490/2	0.028
1952	0.081	1087	0.049
1447/3	0.024	1098/5, 1099/5	0.033
1917/1	0.146		

(1)	(2)	(1)	(2)
1499	0.024	1947/2	0.061
1965	0.089	32/3	0.071
1135/3	0.009	1126/1	0.016
1147/3	0.010	1376/3	0.045
1381/3	0.020	1484/2	0.012
1383/3	0.051	1569/2	0.034
1484/1	0.012	1102/2	0.051
1463/3	0.015	51	0.129
1964/3	0.029	1159	0.073
1122/2, 1123/2	0.133	1568	0.036
1129	0.097	39/5	0.028
1441/2	0.068	39/6	0.227
1463/2	0.015	1470/3	0.025
1964/2	0.030	1955/1ङ/2	0.073
30/2	0.043	1825/3	0.117
1135/1	0.010	54/2	0.153
1147/1	0.011	1172/1	0.048
1381/1	0.021	1442/1	0.040
1383/1	0.052	544	0.121
1963/3	0.021	557	0.032
1174/2	0.077	1352/1, 1352/2	0.251
1455	0.105	558/2	0.026
1098/3, 1099/3	0.020	559	0.032
1537/2	0.024	567	0.040
2/3	0.053	1355, 1356	0.085
13/2	0.150	1916/1	0.140
1103/1	0.022	1536	0.053
1473	0.081	1824/2	0.656
1540/2	0.027	1899	0.162
1759/2	0.021	1379/1	0.037
574	0.087	1544/1	0.049
1116	0.016	1826/2	0.065
1557/1	0.065	25/2	0.020
1947/1	0.061	14/2	0.023
1904/1	0.069	25/1	0.040
1447/2	0.024	28	0.237
1755	0.067	25/3	0.101
568/2	0.032	31/1	0.069
1104	0.024	31/2	0.069
1466/2	0.034	31/3	0.137
1541	0.053	32/4	0.071
1174/1	0.081	26/3	0.040
1152	0.020	40	0.316
1489	0.089	555/1	0.029
1158/1	0.194	572	0.567
1167/1	0.154	1105	0.016
575/1	0.040	1127	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
1132	0.065	1758/1	0.031
1150	0.024	1783	0.202
1160/2	0.093	1816	0.113
1161	0.178	1818	0.089
1162/2	0.255	1821	0.202
1168	0.178	1823/2	0.146
1171/2	0.049	1826/1	0.065
1172/2	0.049	1826/3	0.065
1175	0.065	1142	0.032
1350	0.352	1553	0.117
1359	0.121	1573	0.073
1377/2	0.052	1574	0.146
1377/1	0.053	50/1	0.081
1377/3	0.105	1120/2	0.020
1379/2	0.036	1545/2	0.040
1379/3	0.036	1781/1	0.097
1382	0.174	1545/5	0.040
1440	0.085	1445/1	0.044
1442/2	0.041	1476	0.053
1443	0.097	1545/3	0.040
1446/2	0.049	1140	0.061
1447/1	0.024	1166	0.178
1448/2	0.011	1238	0.251
1448/3	0.011	1563	0.065
1448/4	0.032	1713	0.061
1454/1	0.029	1554	0.166
1454/2	0.030	1714	0.020
1465	0.028	1126/2	0.004
1466/1	0.019	1131/1	0.012
1470/4	0.024	1376/4	0.045
1475/2	0.024	1106	0.020
1483	0.053	1466/3	0.016
1485	0.116	1549	0.073
1488	0.146	1758/2	0.030
1493	0.113	1398/1	0.243
1539	0.073	1470/2	0.025
1544/2	0.049	1823/1	0.145
1544/3	0.048	1955/1ङ/3	0.073
1548	0.336	1398/4	0.162
1555	0.251	1825/2	0.113
1559	0.162	1543	0.085
1565	0.174	1753	0.162
1566	0.154	1448/1	0.011
1570	0.101	1757/1	0.031
1754	0.081	1757/2	0.030
1756/1	0.057	1757/4	0.091
1756/2	0.056	1107	0.028
1757/3	0.030	1459	0.012

(1)	(2)	(1)	(2)
1472	0.040	1361/4	0.048
1495	0.057	1956/3, 1957/3	0.082
1538	0.057	1154/4	0.021
1547	0.117	1445/2	0.044
1760	0.073	1469	0.150
1109	0.028	1458/1	0.084
1461	0.057	1552	0.073
1471	0.024	1375/2	0.174
1497	0.113	1494	0.117
1546	0.053	1358	0.040
1550	0.121	1122/1, 1123/1	0.053
1761	0.049	1084/4, 1085/4	0.031
1763	0.072	1463/4	0.014
1155	0.061	1971	0.214
1164	0.142	1917/2	0.150
1237	0.263	1133/3	0.015
1765	0.534	1490/3	0.029
1363/3	0.024	1479/4	0.023
1363/4	0.024	1098/4, 1099/4	0.025
1363/6	0.024	1119/1	0.014
1822	0.061	1537/3	0.025
1557/2	0.064	1551/2	0.040
1824/1	0.655	1101	0.117
1916/2	0.162	1114	0.020
1927, 1928, 1929/2	0.348	1115/2	0.008
1930	0.121	1145/2	0.011
1931	0.485	1146	0.028
1362/4	0.047	1481	0.036
1941/1	0.121	1542	0.129
1953/2	0.183	1115/1	0.008
1121	0.049	1145/1	0.010
1362/5	0.046	1482	0.036
1959/2	0.121	1501	0.036
1942	0.032	1100/1	0.029
1980/1	0.025	1141/1	0.022
1946	0.089	1486/1	0.083
1564	0.162	1125	0.016
1898/1	0.076	1378	0.210
1948	0.162	1100/2	0.028
1950	0.162	1141/3	0.023
1951	0.085	1151/1	0.020
1124/2	0.032	1486/3	0.083
1134/2	0.033	1149	0.024
1098/6, 1099/6	0.040	1169/1	0.065
1119/2	0.014	1363/1	0.117
1955/1ग/2	0.242	1375/1	0.174
1158/2	0.065	1239/2, 3545/2	0.121
1167/2	0.154		

(1)	(2)
1239/4, 3545/4	0.121
558/1	0.008
1974/3559	0.174
34	0.304
542	0.206
1449	0.028
1451	0.057
1453	0.138
1904/2	0.035
1904/3	0.034
1963/1	0.020
1963/2	0.040
1562	0.150
योग 509	45.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शिवरीनारायण बॅराज के डूबान क्षेत्र अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2016

क्रमांक 145/नग्रानि./राजनांदगांव/स्ट्र.प्लान गण्डई/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गण्डई निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव, कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव एवं कार्यालय नगर पंचायत गण्डई में दिनांक 05-02-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

गण्डई निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

गण्डई निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बुढ़ासागर, देवपुरा, भुरभुसी एवं ग्राम गोकना की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गोकना, हनईबन एवं ग्राम ठंडार की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम ठंडार एवं ग्राम चकनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम चकनार, पण्डरिया, कृतबांस एवं ग्राम बुढ़ासागर की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उस पर उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव छ.ग. द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :—

1. कार्यालय, नगर पंचायत, गण्डई, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
2. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कम्पोजिट बिल्डिंग, कक्ष क्रमांक 10/2, कलेक्टोरेट परिसर, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

No. 145/T&CP/Rajnandgaon/S.P-Gandai/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Gandai Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 05-02-2016 during office hours in the offices of the Collector District Rajnandgaon C.G., Office of the Sub-divisional officer (revenue) Khairagarh, office of the Deputy Director Town and Country Planning Rajnandgaon and office of the Nagar Panchayat Gandai C.G.

The limit of Gandai Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Gandai Planning Area

NORTH	:	Village Budhasagar, Deopura, Bhurbhusi upto the Northern limit of Gokana.
EAST	:	Village Gokana, Hanaiband upto the Eastern limit of Village Thandar.
SOUTH	:	Village Thandar upto the Southern limit of Chaknar.
WEST	:	Village Chaknar, Pandariya, Kritbans upto the Western limit of Budhasagar.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map and register so prepared, it should be sent in writing to the above mentioned places, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette"

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Deputy Director, Town and Country Planning Rajnandgaon, Chhattisgarh.

Inspection Site :—

1. Office of the Nagar Panchayat Gandai, District Rajnandgaon (C.G.)
2. Office of the Deputy Director, Town & Country Planning, Composite Building, Room No. 10/2, Collectorate Campus, District Rajnandgaon (C.G.)

एल. एल. राठौर,
उप-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 फरवरी 2016

क्रमांक/212/न.ग्रा.नि./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बाराद्वार निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत बाराद्वार एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 26-02-2016 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

बाराद्वार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम सरहर, दुरपा, सरवानी एवं सकरेली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम सकरेली एवं डुमरपारा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम डुमरपारा, पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम पलाड़ी खुर्द, पलाड़ी कला, मुक्ताराजा, भागोडिह एवं सरहर ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे आयुक्त सह-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 212/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Baradwar Planning Area has been prepared under sub-section (1) of section 15 of the CG Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 26-02-2016 during office hour's in the office of the Collector Distt. Janjgir-Champa (C.G.), office of the Nagar Panchayat Baradwar, Distt. Janjgir Champa (C.G.) and Office of the Assistant Director, Town and Country Planning Janjgir-Champa (C.G.). The limits of Baradwar Planning Area detailed in schedule given below :

SCHEDULE

The Limits of Baradwar Planning Area

NORTH : Village Sarhar, Durpa, Sarwani and Sakareli upto the North limit.
EAST : Village Sakareli and Dumarpara upto the East limit.
SOUTH : Village Dumarpara, Paladi Khurd, Paladi Kala upto the South limit.
WEST : Village Paladi Khurd, Paladi Kala, Muktaraja, Bhagodih and Sarhar upto the West limit.

If there be any objection or suggestion regarding so prepared the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Where any objection or suggestion regarding said above existing landuse map wich received from any person before the specified period will be considered by the Commissioner Cum-Director Town and Country Planning C.G., Naya Raipur.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद छ.ग.

बालोद, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक/266/ELU/न.ग्रा.नि./2015.—एतद्द्वारा, सूचना दी जाती है कि डौण्डी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत डौण्डी/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डौण्डीलोहारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 26-03-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के

लिए उपलब्ध है. डौण्डी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

अनुसूची

डौण्डी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खैरवाही, औराटोला, डौण्डी (ग्राम उकारी, न.पं. डौण्डी में शामिल) एवं गंगोलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गंगोलीडीह, कांडे एवं अवारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अवारी एवं छिंदगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छिंदगांव, बेलरगोंदी उर्फ सल्हाईटोला एवं खैरवाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत, डौण्डी.

No. 266/ELU/T&CP/2015.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Dondi Planning Area has been prepared under sub section (i) of section (15) (i) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 26-03-2016 during office hour in the office of Nagar Panchayat Dondi/Exhibition Venue, office of Sub Divisional Officer (Revenue) Dondilohara, & office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod the limit of the Dondi Planning Area is defined in the schedule given below :

SCHEDULE

Limits of Dondi Planning Area

NORTH : Village Khairwahi, Auratola, Dondi (Vill. Ukari included in Nagar Panchayat Dondi) village Gangolidih upto north boundary.
EAST : Village Gangolidih, Kande Village Awari upto east boundary.
SOUTH : Village Awari Village Chhindgaon upto south boundary.
WEST : Village Chhindgaon, Belargondi (Salhaitola) Village Khairwahi upto west boundary.

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning Balod C.G.

Inspection site : Office of the Nagar Panchayat Dondi.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुरनगर, दिनांक 8 मार्च 2016

क्रमांक 97/नग्रानि./बगीचा/वि.यो./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बगीचा निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर (छ.ग.), कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जशपुर (छ.ग.) तथा प्रदर्शनी स्थल नगर पंचायत कार्यालय, बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.) में दिनांक 09-03-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

बगीचा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

बगीचा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बगडोल, डुमरटोली, भट्ठीकोना, कुरूमकेला, गम्हरिया एवं ग्राम रतबा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम रतबा की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम रतबा, बगीचा, रेवरे, रूपसेरा एवं ग्राम बगडोल की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम रूपसेरा बगडोल, डुमरटोली एवं ग्राम भट्ठीकोना की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश छ.ग. नया रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 97/T&CP/Bagicha/DP/2016.—Notice is hereby given that of existing land use map for Bagicha Planning Area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 09-03-2016 during office hour in the office of the Collector Distt.-Jashpur (C.G.), office of the Assistant Director Town and Country Planning Jashpur (C.G.) and Nagar Panchayat Bagicha Distt. Jashpur C.G.

The limit of Bagicha Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Bagicha Planning Area

NORTH	:	Village Bagdol, Dumartoli, Bhatthikona, Kurumkela, Gamhariya and Ratba to Northern Boundary
EAST	:	Village Ratba to Eastern Boundary.
SOUTH	:	Village Ratba, Bagicha, Revare, Rupsera and Bagdol to Southern Boundary.
WEST	:	Village Rupsera, Bagdol, Dumartoli and Bhatthikona to Western Boundaty.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map should be given in writing at the place of inspection within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Where any objection or suggestion regarding said above existing land use map which received from any person before the specified period will be cosider by the Assistant Director Town and Country Planning Jashpur (C.G.).

ललिता धुर्वे
सहायक संचालक.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

संशोधित आदेश

क्रमांक/122/अ.जि.द./एस.डब्ल्यू./2016.—पुलिस अधीक्षक रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक पुअ/राय/याता/229/2016 दिनांक 18-04-2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि रायपुर शहर में आबादी बढ़ने से यातायात का दबाव बढ़ते जा रहा है. शहर के गुढ़ियारी क्षेत्र में थोक व्यापार की अधिकता होने से माल वाहक वाहनों का आवागमन लगातार बना रहता है तथा मार्गों के संकीर्ण होने के कारण दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है. दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं लोक सुरक्षा के दृष्टिकोण से गुढियारी क्षेत्र में भारी, मध्यम एवं हल्के माल वाहक वाहनों के प्रवेश को छ.ग. मोटर यान नियम 1994 के नियम 215 के अनुसार पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा.

पूर्व में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 17/अजिद/एस.डब्ल्यू/2016 दिनांक 30-01-2016 के द्वारा छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 05 फरवरी 2016 से छ.ग. मोटर यान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए रायपुर शहर के गुढ़ियारी क्षेत्र के समस्त मार्गों में मध्यम/भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रात: 5.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, रायपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उपरांकित आदेश को संशोधित करते हुए मैं ओ.पी.चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर छ.ग. मोटर यान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए रायपुर शहर के गुढ़ियारी क्षेत्र के समस्त मार्गों में भारी, मध्यम एवं छोटे माल वाहक वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित करता हूं. विशेष परिस्थिति में गुढ़ियारी क्षेत्र के समस्त मार्गों में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायपुर के पूर्वानुमति से भारी, मध्यम एवं छोटे माल वाहक वाहनों का आवागमन हो सकेगा.

यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगा.

ओ. पी. चौधरी,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.